कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

आवश्यक सूचना

परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8135 दिनांक 23.11.2020, पत्रांक 8473 दिनांक 14.12.2020, पत्रांक 8471 दिनांक 14.12.2020 एवं ज्ञापांक 13100 दिनांक 30.10.2024 के आलोक में वाहन परिचालन हेतु निर्गत किये गये परमिट का शत–प्रतिशत इन्ट्री वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में किया जाना बाध्यकारी है। वैसे वाहन जिसका परमिट अवधि समाप्त हो चुका है लेकिन परमिट का रिनुअल/प्रतिस्थापन संबंधी आवेदन पूर्व से कार्यालय को प्राप्त है इसके लिए वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इन्ट्री हेतु पूर्व से निर्देश निर्गत है एवं प्राप्त आवेदन का कार्रवाई प्रक्रियाधीन है लेकिन प्राधिकार से निर्गत वैसे परमिट का रिनुअल/प्रतिस्थापन जो एक या दो वर्ष के अन्दर परमिट समाप्त होने वाले हैं, जिसमें भाया भिन्नता एवं मार्ग अधिसूचित प्रदर्शित हो रहा है तो वैसे वाहन स्वामियों को निदेश दिया जाता है कि पन्द्रह दिनों के अन्दर अपना मैनुअल परमिट टाईम स्लॉट के साथ कार्यालय में जमा करें ताकि परमिट से संबंधित त्रुटियों को दूर करते हुए ऑनलाईन किया जा सके। साथ ही जिस पुराने परमिट में अधिसूचित मार्ग से भिन्न मार्ग हो तो वैसे वाहन स्वामी भी पन्द्रह दिनों के अन्दर अपना मैनुअल परमिट टाईम स्लॉट के साथ कार्यालय में जमा करें ताकि पुराने परमिट में अंकित मार्ग को विभाग द्वारा अधिसूचित कराया जा सके। निर्धारित समयावधि के बाद अगर पुराने परमिट का वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इन्ट्री हेतु किसी भी तरह का मामले आने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही वर्णित समयावधि के बाद मैनुअल परमिट का टाइम स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, **प्राधिकार की आगामी बैठक में मैनुअल परमिट से आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा** एवं प्रवर्त्तन पदाधिकारियों द्वारा की गई शमन कार्रवाई या अन्य शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

07.12.24

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।